



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]  
No. 205]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1990/चैत्र 22, 1912  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1990/CHAITRA 22, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1990

का.प्रा. 324(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961 का और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंधन) (बी सी नौवां  
संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 को द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “विदेश मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

“12. विभिन्न स्कूलों के अधीन भारत में अध्ययन के लिए विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति” ;

(ख) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, “क शिक्षा विभाग” उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“22. सभी छात्रवृत्तियाँ जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो विदेशी और विदेशी अभिकरणों द्वारा ऐसे विषयों में दी जाती हैं जो इस विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं किन्तु इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए यायावर और अर्धयायावर जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ और साधारण छात्रवृत्ति स्कूल तथा विभिन्न स्कूलों के अधीन विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ नहीं आती हैं।”।

रामस्वामी वेंकटरामन,  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/90-मंत्रि.]

दीपक दासगुप्ता,  
संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1990

S.O. 324(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and ninth Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, ---

- (a) under the heading, "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"12. Scholarship to foreign students for study in India under different schemes." ;

- (b) under the heading, "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)," under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)", for entry 22, the following entry shall be substituted, namely :—

"22. All scholarship including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this Department but excluding scholarship to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic tribes and General Scholarships Scheme and Scholarships to foreign students under different schemes".

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[No. 74|2|1|90-Cab.]  
D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

